

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अगस्त 2020 — श्रावण 22, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2009/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 एवं 5-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया की सीमा में सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची -1

नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायत का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नगर पालिका/ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	बैकुण्ठपुर (नगर पालिका)	17142
2	ओड़गी	2555
3	रामपुर	1414
4	तलवापारा, छिन्दडांड	1702
5	चेरवापारा (आंशिक)	195
6	खरवत (आंशिक)	225
7	आमगांव (आंशिक)	200
8	जामपारा (आंशिक)	60
9	कंचनपुर (आंशिक)	40
10	सलका (आंशिक)	20

अनुसूची -2

नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर की संशोधित सीमा निम्नानुसार होंगी :-

नगर पालिका परिषद की वर्तमान सीमा ओड़गी, रामपुर, तलवापारा छिन्दडांड, चेरवापारा (आंशिक), खरवत (आंशिक), आमगांव (आंशिक), जामपारा (आंशिक), कंचनपुर (आंशिक), सलका (आंशिक) नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर कोरिया, बैकुण्ठपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 1-3/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2009/18 दिनांक 13-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 13th August 2020

NOTIFICATION

No. F 1-3/2014/18. — In exercise of the powers conferred by section 5 and 5(A) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to include the following Gram/Gram Panchayat in the boundary of Municipal Council Baikunthpur in District-Koriya as given in the Schedule below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas of Gram /Gram panchayat to be included in limits of Municipal council Baikunthpur is as under :-

S.No.	Name of Municipal Council /Gram/Gram panchayat	population year 2011
1	Municipal Council Baikunthpur	17142
2	Odgi	2555
3	Rampur	1414
4	Talwapara, Chinddhand	1702
5	Cherwapara (partial)	195
6	Kharvat (partial)	225
7	Amgaon(partial)	200
8	Jampara (partial)	60
9	Kanchanpur (partial)	40
10	Salka (partial)	20

SCHEDULE -2

The Revised boundary of Municipal Council Baikunthpur is as under :-

The Boundaries of the Municipal Council Baikunthpur shall include the boundaries of existing Limits of Municipal Council Baikunthpur, Gram Odgi, Rampur, Talwapara Chinddhand, Cherwapara (partial), Kharvat (partial), Amgaon (partial), Jampara (partial), Kanchanpur (partial), Salka (partial) Shall be the limits of Municipal Council Baikunthpur.

Any person or any local authority may submit his Suggestion/objection in writing to the Collector, District Koriya on any official day and time within 30 days from the date of Publication in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.